

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक: 15 मई 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-2711 बाढ़ नियंत्रण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अनुसंधान एवं नियोजन) बाढ़, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-184/काप्रअ/अनिबामं/यू-7/2019, दिनांक 10.05.2019 एवं शासनादेश संख्या-57/2019-972/19-27-सिं-9-42एसएवी/19, दिनांक 22-04-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ़ खण्ड कुशीनगर के अन्तर्गत ए0पी0 तटबंध के अतिसंवेदनशील सुरक्षात्मक कार्यों हेतु एवं बाढ़ खण्ड गोरखपुर के अन्तर्गत खडगपुर शाहपुर सोपाई तटबंध के अतिसंवेदनशील सुरक्षात्मक कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक-2711 में प्राविधानित बजट व्यवस्था धनराशि रू0 34527.68 लाख में से क्रमशः रू0 1000.00 लाख एवं रू0 300.00 लाख, कुल रू0 1300.00 लाख (रूपये तेरह करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त निर्गत धनराशि सम्बन्धित मुख्य अभियन्तागणों की अनुसंधान पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को धनराशि सीधे आवंटित की जाएगी। उक्त आवंटित की गयी धनराशि की सूचना दस दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।
- (2) उक्त धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य से पहले एवं कार्य के बाद के फोटोग्राफ्स सुरक्षित रखे जायेंगे एवं भुगतान से पहले प्रत्येक कार्य का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि रू0 5.00 लाख की लागत से ऊपर के कार्यों की ड्रोन द्वारा कार्य से पहले एवं कार्य के बाद वीडियोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (3) उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।
- (4) बाढ़ खण्ड कुशीनगर के अन्तर्गत ए0पी0 तटबंध के अतिसंवेदनशील सुरक्षात्मक कार्यों हेतु एवं बाढ़ खण्ड-2 गोरखपुर के अन्तर्गत खडगपुर शाहपुर सोपाई तटबंध के अतिसंवेदनशील सुरक्षात्मक कार्यों हेतु शासनादेश दिनांक 22-04-2019 के प्रस्तर-2(4) में दी जा रही शिथिलता को दृष्टांत न माना जाय।
- (5) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (6) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े, तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।
- (7) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 एवं शासनादेश संख्या-57/2019-972/19-27-सिं-9-42एसएवी/19, दिनांक 22-04-2019 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

संख्या-65/2019/1194(1)/19-27-सिं-9-47एसएवी/19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता(परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
9. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग- 2
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।